

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ०प्र० झांसी  
पत्रांक- 1994 / 33-1 / दिनांक, झांसी, अक्टूबर 1, 2017

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
औरैया वन प्रभाग औरैया।

विषय- झांसी-औरैया-फूलपुर गैस पाईप लाईन के निर्माण में प्रस्तावित उरई वन प्रभाग व झांसी वन प्रभाग की संरक्षित वन भूमि एवं मार्ग पटरी पर खड़े प्रभावित वृक्षों की वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका कार्यालय पत्रांक 883/14-1 दिनांक 24.09.2017।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव तीन प्रतियों में प्रभागीय वनाधिकारी उरई द्वारा पत्रांक 1121/33-1 दिनांक 05.10.2017 व प्रभागीय वनाधिकारी झांसी द्वारा पत्रांक 1699/15-1 दिनांक 07.10.2017 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विषयक संशोधित प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में इस कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही एवं संस्तुति सहित संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- 1 प्रस्ताव 3 प्रतियों में (जालौन वन प्रभाग उरई)

2. प्रस्ताव 3 प्रतियों में (झांसी वन प्रभाग झांसी)

3. प्रभागीय वन अधिकारी झांसी का पत्रांक 1699/15-1 दिनांक 07.10.2017 एवं प्रभागीय वनाधिकारी-जालौन वन प्रभाग उरई का पत्रांक 1121/33-1 दिनांक 05.10.2017 की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या- /समदिनांक।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री प्रदीप यादव, मुख्य प्रबन्धक निर्माण गेल इण्डिया लखनऊ, आर०सी०एफ० विल्डिंग/टी०सी०/10 बी विभूतिखण्ड, गोमती नगर लखनऊ 226010 को इस आशय से प्रेषित कि किसी भिन्न प्रबन्धक को इस कार्यालय से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त कर प्रभागीय वनाधिकारी औरैया के कार्यालय में प्राप्त कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(अशोक कुमार)


वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

**भाग-3**  
**(सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

14.	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। हाँ/नहीं यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं /
15.	क्या सम्बंधित वन संरक्षक भाग 'ख' में दी गई सूचना और उपवन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	हाँ /
16.	प्रस्ताव की सूची या अन्यथा के बारे में सम्बंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	<p>प्रभागीय वनाधिकारी उरई की सरहदों के आधार पर प्रस्ताव वन संरक्षण आधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृत करने की सरहदों की जाती है /</p>

दिनांक : 11.10.2017

स्थान : 

  
11.10.2017

हस्ताक्षर (अशोक कुमार)  
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त 40प्र0, झाँसी

भाग-3  
(सम्बंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14.	स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है। हाँ/नहीं यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15.	क्या सम्बंधित वन संरक्षक भाग 'ख' में दी गई सूचना और उपवन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।	हाँ
16.	प्रस्ताव की सूची या अन्यथा के बारे में सम्बंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	प्रस्तावित वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत क्रमोद्धार करने की संरचना दी जा रही है।

दिनांक : 11.10.2017

स्थान : झाँसी

हस्ताक्षर  
(अशोक कुमार)  
11.10.2017

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक  
बुन्देलखण्ड वृत्त उ०प्र०, झाँसी